तापमान

भोपाल	39.8°	23.4°
इंदौर	39.9°	24.6°
जबलपुर	38.7°	21.8°
ग्वालियर	39.7°	24.0°

दैनिक
नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

वर्ष- 78
(भोपाल : वर्ष 40 अंक 139, पृष्ठ 12)
शुक्रवार 18 अप्रैल 2025
राजधानी संस्करण
कीमतः 3:00 रुपये

राजधानी... सिकल येल खत्म करने में हर व्यक्ति का ...

खेल... नीरज चोपड़ा ने पोटचेफस्ट्रम आमंत्रण ...

व्यापार... ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशिया में ...

देश-विदेश... टैरिफ की मार से बेहाल कैलीफोर्निया ने ...

www.naiduniaonline.com

मौजूदा वक्फ में पांच मई तक कोई बदलाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा वक्फ में अगली सुनवाई तक कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। न्यायालय मामले की अगली सुनवाई पांच मई को करेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार तथा न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हम नहीं चाहते कि स्थिति बदले। पांच साल (इस्लाम का अभ्यास) जैसे प्रावधान हैं, जिन पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं। पीठ के समक्ष श्री मेहता ने निवेदन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करेगी और अगली तारीख तक परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगली तारीख तक उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ का स्वरूप नहीं बदलेगा, हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को वक्फ संशोधन अधिनियम, 1995 पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाकर कठोर रुख नहीं अपनाना चाहिए।

अदालत ने श्री मेहता का बयान दर्ज किया और जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत ने सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ताओं को पांच दिन के भीतर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच मई, 2025 की तारीख मुकर्रर की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि केवल पाँच रिट याचिकाओं पर विचार किया जाएगा और शेष को निपटाया हुआ माना जाएगा, क्योंकि 100 या 120 याचिकाओं पर विचार करना असंभव है। अदालत ने आदेश दिया कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को सूची में अलग से दिखाया जाएगा। अदालत ने केंद्र के लिए कनु अग्रवाल को नोडल वकील नियुक्त किया। शुरुआत में, श्री मेहता ने कहा कि वह बुधवार को अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए काम कर रहे हैं।

अदालत को केवल कुछ धाराएँ पढ़कर कानून पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा, कई संशोधन हुए, समितियाँ बनीं और लाखों लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। गाँव छीने जा रहे हैं और निजी संपत्तियाँ वक्फ के तौर पर छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालत पक्षों की बात सुन ले तो कुछ नहीं बदलेगा। याचिका दाखिल करने वालों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज कुमार झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान और समाजवादी पार्टी सांसद ज़िया उर रहमान (शेष पेज 2 पर)

कोई शक्ति राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती: धनखड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की असीमित स्वतंत्रता पर सवाल करते हुए गुरुवार को कहा कि कोई शक्ति किसी भी आधार पर राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकती।

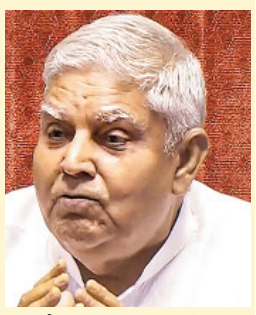

श्री धनखड़ ने उप राष्ट्रपति निवास पर राज्यसभा के छठे बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं बनायी जा सकती कि कोई राष्ट्रपति को निर्देश दे सके। न्यायपालिका की भूमिका परामर्श की है। परामर्श सहमति नहीं है, परामर्श केवल परामर्श है। उप राष्ट्रपति का यह वक्तव्य उच्चतम न्यायालय के हाल के उस निर्णय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे विधेयकों पर अधिकतम तीन महीने के भीतर फैसला करना होगा। श्री धनखड़ ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। यह शपथ केवल राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल लेते हैं। हर कोई, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, ये सभी संविधान का पालन करने की शपथ लेते (शेष पेज 2 पर)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को सीआरपीएफ के 86 वें स्थापना दिवस पर नीमच में प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

देश से नक्सलियों के उन्मूलन में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी : शाह

भोपाल (काप्र)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि देश में 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के पूरी तरह खात्मे का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है और इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

श्री शाह ने मध्यप्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय पर 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस परेड 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्रप्रताप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने अपने संबोधन में सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों की गौरव गाथा के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस बल की कोबरा बटालियन के जवानों की बदौलत देश में नक्सली सिमटकर अब सिर्फ चार जिलों में रह गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नक्सली कभी पशुपति से तिरुपति तक का हौंसला रखते थे, जो चार जिलों में सिमटकर रह गए हैं। उन्होंने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 31 मार्च तक देश से नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने यह संकल्प सीआरपीएफ की क्षमताओं के कारण ही लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोबरा जवानों की कार्यप्रणाली की बार बार सराहना करते हुए कहा कि जब नक्सलियों को पता चलता है कि कोबरा जवान उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो नक्सलियों की रुह कांप जाती है। और अब खासतौर से इन्हीं जवानों की बदौलत देश से नक्सलियों का खात्मा होगा।श्री शाह ने सीआरपीएफ जवानों और अधिकारियों की कर्तव्यस्थल पर कार्य का स्मरण करते हुए कहा कि इसकी स्थापना से लेकर अब तक 2264 जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और इस तरह के लक्ष्य को हासिल करने में भी इन जवानों को बड़ा (शेष पेज 2 पर)

खास-खबरें

कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द होगी शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर जारी तकनीकी बातचीत पूरी हो गई है और जल्द ही सरकार यात्रा की शर्तों और अन्य विवरण सार्वजनिक करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जल्दी ही एक नोटिस जारी करेगी। दोनों देशों के बीच यात्रा के तौर तरीकों और शर्तों आदि को लेकर जारी तकनीकी बातचीत में सहमति बन गई है।

विस चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत: तेजस्वी

पटना (एजेंसी)। बिहार चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई। यह बैठक ढाई घंटे तक चली। बिहार महागठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हालात पर आज महागठबंधन की पहली बैठक हुई। हमने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से जुड़े मामलों पर चर्चा की। हमने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से जुड़े मामलों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 सालों से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ बिहार के लोगों में काफी गुस्सा है। अपराध, बेरोजगारी और मजदूरों के पलायन में बिहार नंबर वन है। राज्य में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राजद नेता ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री बिहार आते रहते हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है।

सौ देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा भारत : राजनाथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए गुरुवार को यह बात कही।

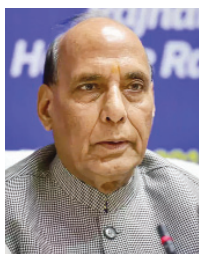

राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा पांच सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें कुल 509 रक्षा उपकरण, हथियार प्रणाली और रक्षा प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इनका उत्पादन अब देश में ही किया जाएगा।

नई दिल्ली में रक्षा तैयारी से जुड़े विषय पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। करीब सौ देशों को भारत में बने रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा (शेष पेज 2 पर)

पन्ना की बाघिन ने आबाद किया चित्रकूट का जंगल

पन्ना (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व की बाघिन पी-213(22) ने चित्रकूट के जंगल को बाघों से आबाद कर दिया है। पन्ना की यह बाघिन अपने लिए नए आशियाने की तलाश में 24 नवंबर 2015 को पन्ना कोर क्षेत्र से बाहर निकलकर चित्रकूट के जंगल में दस्तक दी थी। तभी से यह बाघिन वन मंडल सतना के वन परिक्षेत्र मझगवां अंतर्गत सरभंगा के जंगल को अपना ठिकाना बनाए हुए है।

दाऊदी बोहरा समुदाय ने वक्फ कानून को बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली (एजेंसी)। दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए उनका आभार जताया।

उन्होंने कहा कि यह समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग थी। दाऊदी बोहरा समुदाय ने आगे प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर भी विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वे इस सोच के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल की

पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। बोहराओं ने अपना नाम गुजराती शब्द वाहौरौ से लिया है, जिसका अर्थ है व्यापार करना।

हज जैसे धार्मिक मुद्दे पर राजनीति न करें: रिजिजू

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को हज यात्रा 2025 को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हज की सभी व्यवस्थाएं सऊदी अरब के नियमों और समयसीमा के अनुसार की जाती हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा था कि भारत सरकार भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है। निरंतर प्रयासों के कारण, भारत का हज कोटा 2014 में 136,020 से बढ़कर 2025 में 175,025 हो गया है, जिसे सऊदी अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अंतिम रूप दिया जाता है। अब इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी।

किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कृपया हज जैसे धार्मिक मुद्दे पर राजनीति न करें। हज की व्यवस्था सऊदी नियमों, विनियमों और उनकी समयसीमा के अनुसार की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षकों को दी राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के उन शिक्षकों को गुरुवार को सशर्त एक बड़ी राहत दी, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आधार पर रद्द कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी। पीठ ने यह राहत राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को कक्षा नौ से 12 तक के लिए सहायक शिक्षक के पदों की नई भर्ती के लिए 31 मई, 2025 तक नई विज्ञापन प्रकाशित करने और 31 दिसंबर, 2025 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की शर्त पर दी है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कक्षा नौ से 12 तक के सहायक शिक्षक राज्य में संबंधित पदों पर नई भर्ती पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं।

मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन

कोलकाता (एजेंसी)। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद जाऊंगी। मुर्शिदाबाद में अशांति की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है।

राज्य सरकार पीड़ितों के लिए घर बनाएगी। प्रशासन मुर्शिदाबाद के लोगों का विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल कल मुर्शिदाबाद जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल से अनुरोध करूंगी कि अभी मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाके का दौरा नहीं करें। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैं दिल्ली गया था और अब मैं यह जानने के लिए मैदान में जा रहा हूं कि वास्तव में क्या हुआ।

असहमति व्यक्त करना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण : खान

जयपुर (एजेंसी)। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने असहमति और लोकतंत्र को एक-दूसरे से जुड़े हुए बताते हुए कहा हैं कि असहमति व्यक्त करना लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकार को अपनी नीतियों को सुधारने और जनता की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करती है। श्री खान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 98वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को राजस्थान विधानसभा के कांस्टीटयूशन क्लब ऑफ़ राजस्थान में प्रोग्रेसिव राइटर्स क्लब एसोसिएशन की ओर से 'असहमति और लोकतंत्र' विषय पर आयोजित व्याख्यानमाला में बोलते हुए यह बात कही। उन्होंने श्री चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि देते हुए उनसे जुड़ी कई रोचक कहानियां साझा की ।

स्पेशल खबर *पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की ....*

तरह दंगों की आग में जलते थे : योगी

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की घटनाओं पर इनकी चुप्पी ने इन्हें चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और माफियावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने योजनाओं में घोटाले कर लंदन में होटल बनाए, वही लोग प्रदेश को लूटने और जातियों में बांटने के लिए जिम्मेदार हैं। मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद, माफियावाद और परिवारवाद से अपना साम्राज्य खड़ा किया, वही लोग अब मुर्शिदाबाद जैसे मामलों पर मौन हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनकी चुप्पी ने इन्हें चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया है।

योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त बनाया है। पहले हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, ठेके लेते थे, दंगे करवाते थे और महिलाओं व व्यापारियों को परेशान करते थे। लोग त्योहारों पर सशंकित रहते थे। अब यूपी में त्योहार शांतिपूर्ण और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। जो हाल आज मुर्शिदाबाद का है, वही कभी यूपी में मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों का हुआ करते थे। मुख्यमंत्री ने पूर्वी यूपी में इंसेफलाइटिस जैसी घातक बीमारी के उन्मूलन को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई, इनमें से ज्यादातर बच्चे अल्पसंख्यक समाज के होते थे, लेकिन किसी नेता के आंसू नहीं बहे।

ईडी के सवालों में नया कुछ भी नहीं पहले ही दे दिए सभी जवाब : वाड्रा

नई दिल्ली (एजेंसी)। हरियाणा में कथित भूमि हड़पने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ का सामना कर रहे कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि उनके(ईडी) के सवालों में नया कुछ भी नहीं है और सभी सवालों के जवाब पहले ही दिये जा चुके हैं। श्री वाड्रा आज लगातार तीसरे दिन ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। उनके साथ उनकी पत्नी एवं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी थीं। उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा कि ये वही सवाल हैं जो मुझसे वर्ष 2019 में पूछे गये थे और मैंने पहले ही सभी जवाब दे दिए हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसी तरह एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपना अभियान चलाती है।